International Journal of Education, Modern Management, Applied Science & Social Science (IJEMMASSS)
ISSN :2581-9925, Impact Factor: 7.555, Volume 07, No. 02(III), April- June, 2025, pp. 79-83

स्थानीय स्वशासन की महत्वपूर्ण कड़ी : ग्राम सभा

डॉ. नीतू चौधरी*

सहायक आचार्य, राजनीति विज्ञान, राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, टोंक, राजस्थान।

*Corresponding Author: choudharyneetu1986@gmail.com

सार

भारत एक लोकतांत्रिक देश है। लोकतंत्र सभी मनुष्यों की समानता, सामाजिक और राजनीतिक परिवर्तन में भाग लेने के उनके अधिकार और सम्मान के साथ जीवन जीने के अधिकार पर निर्भर करता है। पंचायती राज व्यवस्था लोकतंत्र की एक महत्वपूर्ण कड़ी है। प्राचीन काल से ही भारत में गांव हमेशा से प्रशासन की बुनियादी इकाई रहे है। पंचायत हमारी भारतीय सभ्यता और संस्कृति की पहचान है। वर्तमान समय की ग्राम सभा, पंचायत का महत्वपूर्ण अंग है। ग्राम सभा इस विचार का मूर्त रूप है कि केवल जनभागीदारी से ही सफलता मिल सकती है। अमूर्त ग्राम सभा विकेन्द्रीकृत सहभागी लोकतंत्र के लिए संस्थागत आधार है। ग्राम सभा के महत्व को समझते हुए लोगों को इसके प्रति जागरूक करना अत्यन्त आवश्यक है। ग्राम सभाऐं अभी तक इतनी कार्यात्मक नहीं है। इसकी नियमित बैठकें नहीं होती है। पंचायती राज व्यवस्था को सफल बनाने के लिए ग्राम सभा का मजबूत होना अत्यन्त आवश्यक है।

शब्दकोशः *पंचायती राज व्यवस्था, लोकतंत्र, निर्वाचित प्रतिनिधि, स्थानीय स्वशासन।*

प्रस्तावना

'भारत का भविष्य उसके गांवों में निहित है– **महात्मा गांधी**

गांधीजी का मानना था कि भारत का विकास गांवों के विकास से होकर ही संभव है। उनका 'ग्राम स्वराज' का विचार गांवों को पूर्ण रूप से आत्मनिर्भर और स्वशासित बनाने पर आधारित था। गांधीजी का 'ग्राम स्वराज्य' का विचार ग्राम सभा के माध्यम से ही साकार किया जा सकता है। इसकी अनुपालना भारतीय संविधान मे ंभी की गई है। भारतीय संविधान के खंड चार में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों को रखा गया है। इस खंड के अनुच्छेद 40 में ग्राम पंचायतों के गठन का प्रावधान है। 24 अप्रैल, 1993 को लागू 73वें संविधान संशोधन कानून, 1992 को संविधान में खंड नौ के रूप में शामिल किया गया है। इसके अनुसार ग्राम पंचायतों के गठन के लिए राज्य जरूरी कदम उठायेंगे। साथ ही ग्राम पंचायतों को स्वशासन की इकाइयों के रूप में काम करने में सक्षम बनाने के लिए राज्य शक्तियां और अधिकार भी प्रदान करेंगे। इनसे देश में स्थानीय शासन में सुधारों का मार्ग प्रशस्त हुआ।

ग्राम सभा का गठन

ग्राम सभा का गठन संविधान के अनुच्छेद 243 (बी) के तहत होता है। ग्राम सभा में ग्राम पंचायत के सभी पंजीकृत मतदाता शामिल होते है। ग्राम सभा की बैठक सरपंच द्वारा बुलाई जाती है। अध्यक्षता भी सरपंच करता है। ग्राम सभा ग्राम पंचायत के कामकाज, योजनाओं और विकास कार्यो पर चर्चा करती है और सुझाव देती है। ग्राम सभा की नियमित बैठकें आयोजित की जाती हैं, जिनमें ग्राम के विकास, योजनाओं और कार्यक्रमों

पर चर्चा की जाती है। ग्राम सभा कभी भी विघटित नहीं होती है। इसका अर्थ है कि यह एक स्थाई निकाय होता है।

ग्राम सभा के कार्य

- ग्राम सभा के तहत, गाँवों में फैसले लेने की प्रक्रिया में वहां के नागरिकों की सीधी भागीदारी की सुविधा उपलब्ध कराई गई है।
- ग्राम सभा मुख्य रूप से ग्राम पंचायत द्वारा किये जाने वाले कार्यो की निगरानी करती हैं। इसका मुख्य उद्देश्य ग्राम पंचायत द्वारा गाँव के विकास के लिए किए जाने वाले कार्यो का पर्यवेक्षण करना होता है।
- यह नागरिकों के लिए सार्वजनिक मंच है जहां वे अपनी समस्या के बारे में विस्तार से बता सकते है।
- ग्राम सभा के सदस्य ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिला परिषद के लिए अपने प्रतिनिधियों का चुनाव भी करते है।
- भारतीय संविधान के अनुच्छेद 234जी में उल्लेख है कि ग्राम सभा उन शक्तियों का प्रयोग और कार्य करती है जो राज्य विधानमंडल कानून द्वारा प्रदान कर सकता है।
- ग्राम सभा के कार्यो में पंचायत की सीमा के अनुसार राशन वितरण, वृद्वावस्था पेंशन, विकलांग पेंशन से संबंधित विभिन्न मुद्दो पर चर्चा करना भी शामिल है।
- पंचायत के प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र के स्वास्थ्य अधिकारी ग्राम सभा में भाग लेंगे और ग्राम सभा को विभिन्न टीकाकरण, टीकाकरण कार्यक्रमों, कुपोषण से पीड़ित बच्चों और गाँव के लोगों द्वारा डेंगू मलेरिया जैसी बीमारियों के खिलाफ उठाए जाने वाले एहतियाती कदमों के बारे में जानकारी दी जाती है।

ग्राम सभा प्रत्येक ग्राम पंचायत में जमीनी स्तर की एक लोकतांत्रिक संस्था है, जिसका प्रभावी ढंग से कार्य करना जनकल्याण के लिए अत्यंत आवश्यक है।

ग्राम सभा की समितियां

ग्राम सभा दो समितियो के माध्यम से अपने सारे काम करती है एक समिति है ''ग्राम निर्माण समिति'' और दूसरे का नाम ''ग्राम विकास समिति'' है। ग्राम विकास समिति गाँव के विकास के सभी कार्यो के लिए योजना और बजट बनाती है। ग्राम निर्माण समिति ग्राम सभा द्वारा तय किए गए सभी निर्माण का काम कराती है और काम की प्रगति ग्राम सभा को बताती है।

संवैधानिक प्रावधान

भारत में सबसे पहले पंचायती राज व्यवस्था का उद्घाटन 02 अक्टूबर, 1959 को देश के तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहर लाल नेहरू द्वारा राजस्थान के नागौर जिले में किया गया था। आजादी के बाद विभिन्न सरकारें पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक स्वरूप देने के संदर्भ में विभिन्न समितियां गठित करती रही थी। इसके परिणास्वरूप अंततः वर्ष 1992 में भारतीय संसद ने 73वां संविधान संशोधन अधिनियम पारित किया था और इसके माध्यम में पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा प्रदान कर दिया गया था।

ग्राम सभा ग्रामीण स्तर पर पंचायती राज व्यवस्था की सबसे छोटी इकाई है। 73वें संविधान संशोधन अधिनियम के तहत ग्राम सभा को परिभाषित किया गया है। इसके अनुसार ग्राम सभा को एक ऐसे निकाय के रूप में परिभाषित किया गया है, जो ग्रामीण क्षेत्र में 18 वर्ष की आयु पूरी करने वालों लोगों से मिलकर निर्मित होता है।

- **अनुच्छेद 243 :** ग्राम सभा को 'ग्राम स्तर पर पंचायत के क्षेत्र में शामिल एक गाँव से संबंधित मतदाता सूची में पंजीकृत व्यक्तियों से मिलकर एक निकाय के रूप में परिभाषित करता है।

- **अनुच्छेद 243 ए :** एक ग्राम सभा ऐसी शक्तियों का प्रयोग कर सकती है और ग्राम स्तर पर ऐसे कार्य कर सकती है जो राज्य का विधानमंडल कानून द्वारा प्रदान करें।

विभिन्न राज्यों में ग्राम सभा

ग्राम सभा के अधिकारों और कामकाज के बारे में फैसला लेने के लिए राज्यों को अधिकृत किया गया है। कर्नाटक, केरल, बिहार, पश्चिम बंगाल आदि राज्यों में ग्राम पंचायतों के बड़े आकार को देखते हुए इन राज्यों की पंचायतों में वार्ड सभा आदि का अतिरिक्त ढांचा भी तैयार किया गया और ग्राम सभा की बैठक से पहले वार्ड सभा की बैठक का नियम तय किया गया है। सालाना स्तर पर ग्राम सभा की होने वाली बैठकों की संख्या अलग–अलग राज्यों में अलग–अलग हो सकती है। ज्यादातर राज्यों में बैठकों की अनिवार्य संख्या 2 से 4 है। ग्राम सभा का साल 1 अप्रैल से 31 मार्च तक माना गया है। इन बैठकों के अलावा, राष्ट्रीय महत्व के दिनों मसलन, गणतंत्र दिवस, अम्बेडकर जयंती, मजदूर दिवस, स्वतंत्रता दिवस और गांधी जयंती पर भी ग्राम सभा की बैठकों का आयोजन किया जाता है। ग्राम सभाओं का नियमित तौर पर आयोजन बेहद जरूरी है। किसी खास समस्या पर चर्च के लिए बैठक बुलाना हो तो पंचायत सचिव को आवेदन दे सकते है। आवेदन पाने के 7 दिन के भीतर बैठक बुलाना जरूरी है।

ग्राम सभा के उद्देश्य

ग्राम सभाओं का उद्देश्य ग्रामीण जनता का सर्वांगीण विकास करना है। जिन उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए ग्राम सभा का गठन किया गया है, वे इस प्रकार है–

- **जन सहभागिता –** जन सहभागिता की सामाजिक समस्याओं के समाधान में महत्वपूर्ण भूमिका होती है। ग्राम सभा की बैठक में गाँव के लोग अपनी समस्या के बारे में विस्तार से बता सकते है। अपनी राय और सुझाव दे सकते है। जिससे विकास योजनाओं में उनकी भागीदारी सुनिश्चित होती है।
- **निगरानी –** ग्राम सभा, ग्राम पंचायत द्वारा किए गए कार्यो पर निगरानी रख सकती है और उनकी समीक्षा कर सकती है। जिससे यह सुनिश्चित हो जाता है कि काम सही ढंग से व बिना किसी गड़बड़ी के हो रहा है।
- **पारदर्शिता –** ग्राम पंचायत, ग्राम सभा के माध्यम से सीधे जनता से जुड़ी हुई रहती है। ग्राम सभा के माध्यम से, ग्राम पंचायत के कार्यों और बजट की जानकारी ग्रामवासियों को दी जाती है जिससे पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित होती है।
- **विकास योजनाओं को मंजूरी –** ग्राम सभा विकास योजनाओं को मंजूरी देती है और ग्राम पंचायत को उनसे संबंधित सुझाव देती है जिससे विकास कार्य सही ढंग से और ग्रामवासियों की आवश्यकताओं के अनुसार हो।

ग्राम सभा के समक्ष चुनौतियाँ

ग्राम सभा, ग्राम पंचायत का महत्वपूर्ण अंग है। इसे कार्य करने में कई प्रकार की चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। इन चुनौतियों के कारण ग्राम सभा की प्रभावशीलता कम हो जाती है और जमीनी स्तर पर लोकतंत्र कमजोर होता है। ग्राम सभा के समक्ष चुनौतियाँ निम्न प्रकार है।

- **अनियमित बैठकें –** ग्राम सभा की बैठकें अक्सर अनियमित होती है और सभी सदस्यों की उपस्थिति उसमें नहीं हो पाती है जिससे उनकी प्रभावशीलता कम हो जाती है।
- **राजनीतिक हस्तक्षेप –** कई मामलों में देखा गया है कि गांवों में रहने वाले कमजोर तबके के लोग खुलकर अपनी राय नहीं रख पाते हैं। ग्राम पंचायत के निर्वाचित प्रतिनिधि खास तौर पर सरपंच अपने अधिकारों का मनमाना इस्तेमाल करते हैं, जिससे ग्राम सभा की स्वतंत्रता और निष्पक्षता प्रभावित होती है।

- **साक्षरता और जागरूकता की कमी –** कई गाँवों में लोगों की साक्षरता और जागरूकता की कमी होती है। ग्राम सभा के सदस्यों को पर्याप्त प्रशिक्षण और ज्ञान की कमी होती है। जिससे वे प्रभावी ढंग से काम नहीं कर पाते है।
- **परदर्शिता और जवाबदेही की कमी –** ग्राम सभा की बैठकों और निर्णयों में पारदर्शिता और जवाबदेही की कमी होती है, जिससे लोगों का ग्राम सभा पर विश्वास कम होता जा रहा है।

ग्राम सभा की आवश्यकता और प्रासंगिकता

ग्राम सभा, लोकतंत्र की जमीनी स्तर की महत्वपूर्ण संरचना है। जिसका मुख्य उद्देश्य ग्रामीण जनता को राजनीति के प्रति जागरूक करना है। यह सहभागी शासन को बढ़ावा देती है। जिससे विभिन्न सरकारी योजनाओं में लोगों की भागीदारी सुनिश्चित होती है। भारत सरकार स्वास्थ्य, शिक्षा, पोषण, जल आपूर्ति और स्वच्छता से जुड़ी कई योजनाओं पर काम कर रही है। इन योजनाओं को प्रभावी तरीके से लागू करने के लिए आम लोगों की गोलबंदी और उनकी सक्रिय भागीदारी आवश्यक है। ग्राम सभा इसके लिए आदर्श मंच मुहैया कराती है। जिसके जरिए नागरिकों से सीधा संवाद कर इन योजनाओं में उनकी भागीदारी सुनिश्चित की जा सकती है।

ग्राम सभा स्थानीय समस्याओं को समझने और समाधान खोजने के लिए एक मंच प्रदान करती है जिससे प्रभावी और सुसंवाद शासन सुनिश्चित होता है। ग्राम सभा समाज के कमजोर वर्गो के अधिकारों की रक्षा करने में सहायक है।

ग्राम सभा एक स्थायी संस्था है और इसके सदस्य केवल पांच साल के लिए नहीं होते है। उनकी सदस्यता आजीवन होती है। ग्राम सभा गणतंत्र का सही नमूना है जहां केवल जनता की राय से काम होता है। जनता को लोकतंत्र की शिक्षा मिलती है। अब गाँव का विकास केवल सरपंच की जिम्मेदारी नहीं होता बल्कि ग्राम सभा की भी मुख्य भूमिका होती है। इसके लिए ग्राम सभा का जागरूक होना अत्यंत आवश्यक है ताकि किसी को भी घोटाला करने का अवसर ना मिलें।

वर्तमान में ग्राम सभा की सक्रिय भागीदारी देखने को मिल रही है। कुछ राज्यों में ग्राम सभाऐं आगे बढ़कर गाँवों की तरक्की के कार्य कर रही है। जैसे कि तालाब की खुदाई उपेक्षित पेड़ कुओं की सफाई, गंदे पानी का प्रबंधन आदि कार्य ग्राम सभा के द्वारा किये जा रहे है।

ग्राम पंचायत के प्रभावी तरीके से कार्य करने के लिए ग्राम सभा की बहुत अहमियत है।

ग्राम सभाओं का कामकाज प्रभावी बनाने के उपाय

स्थानीय स्वशासन की सफलता के लिए ग्राम पंचायत व ग्राम सभाओं को मजबूत बनाना अत्यंत आवश्यक है। इसके लिए निम्न उपाय किये जा सकते है –

- **ग्राम सभाओं की नियमित बैठके आवश्यक –** ग्राम पंचायतों को नियमित तौर पर ग्राम सभा की बैठकों को आयोजन करना चाहिए। पंचायतों को हर साल कम से कम 6 से 12 ऐसी बैठकों का आयोजन करना चाहिए। ग्राम सभा की बैठकों का फैसला, ग्राम पंचायत के द्वारा किया जाता है।
- **सालाना कैलेंडर तैयार करना –** ग्राम सभाओं की बैठक के लिए राज्य के सभी ग्राम पंचायतों को एक कैलेंडर तैयार करना चाहिए। सालाना कैलेंडर होने से ग्राम सभाओं में गाँव के लोगों की भागीदार बढ़ेगी और पंचायतों की बैठकों के लिए बेहतर ढंग से कार्यक्रम तैयार किए जा सकेंगे।
- **बैठक के लिए अनुकूल समय –** ग्राम सभा की बैठक का समय ग्रामीण आबादी के अनुकूल होना चाहिए, ताकि बड़ी संख्या में लोग इसमें पहुंच सकें। बैठक से पहले ही लोगों को इस बारे में जानकारी दिया जाना आवश्यक है।

- **ग्राम सभाओं में लोगों की भागीदारी बढ़ाना –** ग्राम सभाओं की बैठक में कम से कम 10 प्रतिशत महिला और 30 प्रतिशत पुरूषों की मौजूदगी जरूरी है। ग्राम सभा को लेकर लोगों की जागरूकता बढ़ाने के लिए निर्वाचित प्रतिनिधियों, स्वयं सहायता समूहों, आशा कार्यकत्ताओं, रोजगार सहायकों आदि की सेवाओं का इस्तेमाल किया जाना चाहिए।
- **ग्राम सभा की बैठकों में अधिकारियों की मौजूदगी –** जिला प्रशासन को ग्राम सभाओं की सभी बैठकों में अधिकारियों की मौजूदगी सुनिश्चित करनी चाहिए, ताकि लोगों की शिकायतों का निपटारा हाथों–हाथ हो सकें।
- **वार्ड सदस्यों/निर्वाचित सदस्यों को प्रोत्साहन –** ग्राम पंचायतों के सभी निर्वाचित सदस्यों को उपसमितियों का सदस्य बनाया जाना चाहिए। वार्ड सदस्यों को सरकारी फंडो से जरूरी मेहनताना दिया जाना चाहिए।

ग्राम पंचायतों की सक्रिय भूमिका सुनिश्चित करने के लिए ग्राम सभाओं को असरदार बनाना जरूरी है। पंचायतों और उनके कामकाज में पारदर्शिता और जवाबदेही की भावना विकसित करने में ग्राम सभा बेहतर माध्यम है।

निष्कर्ष

भारत में लोकतंत्र को वास्तविक रूप में सफल बनाने के लिए स्थानीय स्वशासन का मजबूत होना अत्यंत आवश्यक है। स्थानीय स्वशासन की सफलता ग्राम पंचायतों पर निर्भर करती है और ग्राम पंचायतों की सक्रिय भूमिका सुनिश्चित करने के लिए ग्राम सभाओं को असरदार बनाना जरूरी है। ग्राम सभा लोकतांत्रिक शासन प्रणाली की आधारशिला है, जो ग्रामीण जनता को विकास में प्रत्यक्ष भागीदारी का अवसर प्रदान करती है। ग्राम सभा की बैठकों में ग्रामीण नागरिकों द्वारा स्थानीय समस्याओं की पहचान उनके समाधान हेतु विचार–विमर्श और पंचायत द्वारा किए जा रहे विकास कार्यो की समीक्षा की जाती है। इससे पंचायत की पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित होती है। ग्राम सभा के माध्यम से ग्रामीण समुदाय की आवश्यकताओं और अपेक्षाओं के अनुरूप योजनाएँ बनाई जाती है, जिससे सामाजिक न्याय और विकास को सशक्त आधार मिलता है। ग्राम सभाओं की सक्रिय भूमिका से भारत को सतत विकास के लक्ष्यों को भी हासिल करने में मदद मिलेगी और ग्राम पंचायत स्तर पर इस दिशा में काम करना मुमकिन होगा। इसके लिए नियमित तौर पर ग्राम सभाओं की बैठकों का आयोजन, एजेंडा तैयार करना, कार्यवाही रिपोर्ट, जागरूकता फैलाना जैसे सुझाव ग्राम सभाओं को और प्रभावी बनाने की दिशा में कारगार साबित हो सकते है।

संदर्भ ग्रन्थ सूची

1. रमेश चंद, एस के श्रीवास्तव और जसपाल सिंह, 2017 : चेंजेज इन रूरल इकॉनोमी फॉर इंडिया, 1971 से 2012। लेसंस फॉर जॉब लेड ग्रोथ, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल वीकली, अंक 52, 2017
2. योजना, विशेषांक, पंचायती राज, नवम्बर 2021
3. https://panchayatiraj.up.nic.in
4. https://ncert.nic.in
5. दोर्नादुला सुन्दर राम, भारत में ग्राम सभा संस्था : जमीनी स्तर पर महत्वपूर्ण निर्णय लेने वाली संस्था के रूप में 20 वर्षो का अनुभव और प्रयोग, संस्करण 2013, कनिष्ठ प्रकाशन, नई दिल्ली।
6. डॉ. सुरेश चन्द्र शर्मा, पंचायती राज में ग्राम सभा, पॉइंटर पब्लिशर्स, जयपुर, 2018

❖◆❖